



बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

सूचना


बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा पुस्तिका (साईज 1/8), पैम्फलेट एवं पुस्तिका (साईज 1/16) मुद्रण कराने के लिए निबंधित एवं योग्य मुद्रकों से दिनांक 13.11.2017 को 3.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से Quotation अलग-अलग लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

तकनीकी एवं वित्तीय कार्य का मूल्यांकन निम्नांकित तिथियों को होगा :-

Sl. No.	Head for Providing Basic Services	IFQ No.	Last Date of submission of Quotation with time
01	बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा पुस्तिका (1/8), पैम्फलेट एवं पुस्तिका (1/16)	BHRC/लेखा-30/2016-17	13.11.2017 3.00 बजे अपराह्न

पुस्तिका (1/8), पैम्फलेट एवं पुस्तिका (1/16) का मुद्रण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्यदिवस को कार्यावधि में अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रकाश्य पुस्तिका (1/8), पैम्फलेट एवं पुस्तिका (1/16) की विशिष्टियाँ की शर्त, उपबंधों सहित अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट : www.bhrc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।


(देवेन्द्र कुमार सबिता)
उप सचिव



बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

सूचना

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा पुस्तिका (1/8), पैम्फलेट एवं पुस्तिका (1/16) का मुद्रण कराने के लिए निबंधित एवं योग्य मुद्रकों से दिनांक 13.11.2017 को 3.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से quotation अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिसका आकार एवं शर्तें निम्नवत् है :-

पुस्तिका (1/8) की विशिष्टियाँ :-

पुस्तिका (1/8) की 1000 प्रतियाँ जिसमें पृष्ठ 92, जी०एस०एम० 300 आर्ट पेपर पर बहुरंगी छपाई होगा। पुस्तिका (1/8) का Layout Designing भी मुद्रक के द्वारा की जानी होगी।

पैम्फलेट की विशिष्टियाँ :-

पैम्फलेट की 40000 प्रतियाँ जिसमें 20000 दो फोल्ड एवं 20000 तीन फोल्ड होगा, जी०एस०एम० 300 आर्ट पेपर पर बहुरंगी छपाई होगा। पैम्फलेट का Layout Designing भी मुद्रक के द्वारा की जानी होगी।

पुस्तिका (1/16) की विशिष्टियाँ :-

पुस्तिका (1/16) की 1000 प्रतियाँ जिसमें पृष्ठ 16, जी०एस०एम० 300 आर्ट पेपर पर बहुरंगी छपाई होगा। पुस्तिका (1/16) का Layout Designing भी मुद्रक के द्वारा की जानी होगी।

नोट :-

- (i) उपर्युक्त सामग्रियों से संबंधित कोई जानकारी किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से मिलकर जाना जा सकता है।
- (ii) प्रकाश्य सामग्रियों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/ वृद्धि की जा सकती है।
- (iii) पुस्तिका (1/8), पैम्फलेट एवं पुस्तिका (1/16) पर मुद्रित होने वाले चित्र/ थीम की गुणवत्तापूर्ण फोटोग्राफी संबंधित चयनित निविदादाता को करनी होगी एवं तत्संबंधी चित्र/ थीमों का अनुमोदन विभाग से प्राप्त कर लेना होगा।

(देवेन्द्र कुमार सबिता)
उप सचिव